न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या– 1/124/2019 दायर दिनांक– 04/07/2019

जीसीएमएस नं0–2019/00250 निर्णय दिनांक– 12/06/2024

वउनवान

1. उमांकान्त शर्मा पुत्र श्री रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हनुमन्ता कठूमर जिला अलवर।

———वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर लैण्ड होल्डर

——प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा–88, 89राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–श्रीगिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता वादी

–:निर्णयः–

संक्षिप्त तथ्य वाद वादी इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.40 हैक्ट0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.04 हैक्ट0 का वादी का 1/28 हिस्सा, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.686 हैक्ट0 का 1/42 हिस्सा खसरा नम्बर 204 रकबा 0.62 हैक्ट 289 रकबा 0.24 हैक्ट0 310 रकबा 0.32 हैक्ट0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.19 हैक्ट, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.14 हैक्ट0 का 1/84 हिस्सा खसरा नम्बर 85 रकबा 0.23 हैक्ट0 का वादी का 1/56 हिस्सा वाके ग्राम [illegible] तहसील कठूमर में स्थित है। वादी के पिता का देहान्त वादी के बाबा के जीवनकाल [illegible] ही हो चुका था, जव वादी के बाबा का देहान्त हुआ था तब वादी का नाम विवादित आराजी मे उमाकांन्त [illegible] रमेश चन्द शर्मा के स्थान बण्टी पुत्र रमेश जाति ब्राहमण सा0 देह कर दिया जो गलत है।वादी बण्टी पुत्र रमेश जाति ब्राहमण के इन्द्राज को कलमजन कराकर उमाकांत शर्मा

12.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:21 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण सा0 देह दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी के शिक्षा एंव हाल कागजात माल में वादी का नाम उमांकान्त शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण दर्ज चला आ रहा है वादी ने प्रतिवादी एंव उनके अधीनस्थ कर्मचारियान से विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में बण्टी पि0 रमेश के स्थान पर उमाकान्त शर्मा पुत्र रमेशचन्द दर्ज कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। तब वादी ने प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता से कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 80 जा0दी0 का नोटिस मियादी 60 दिवस रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भिजवाया लेकिन प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बण्टी के स्थान पर उमाकान्त शर्मा दर्ज नहीं किया। अतः वादी ने राजस्व रेकार्ड में बण्टी के स्थान पर उमाकान्त शर्मा घोषित कराने बाबत दावा वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 289 वादी द्वारा हनुमन्ता ग्राम तहसील कठूमर में स्थित बताया है जो स्वीकार नहीं है संलग्न जमाबन्दी में वादी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकार्ड में विरासत में अंकित कराया है।इस वजह से वाद वादी झूॅठा व मनगढन्त होने से काबिले खारिज है जो खारिज किया जावे।

वादी के दावा के आधार पर वाद में निम्न 1 तनकी कायम की गई–

तनकी संख्याः–1 आया वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री घोषणात्मक आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.40 हैक्ट, खसरा नम्बर 88 रकवा 0.04 हैक्ट का वादी का 1/28 हिस्सा, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.686 हैक्ट0 का 1/42 हिस्सा खसरा नम्बर 204 रकबा 0.62 हैक्ट0, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.24 हैक्ट0, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.32 हैक्ट0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.19 हैक्ट0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.14 हैक्ट0 का 1/84 हिस्सा खसरा नम्बर 85 रकबा 0.23 हैक्ट0 का वादी का 1/56 हिस्सा वाके ग्राम हनुमन्ता तहसील कठूमर में वादी का नाम बन्टी पि0 रमेश के स्थान पर उमाकान्त शर्मा पुत्र रमेश चन्द शर्मा साकिन देह हनुमन्ता तहसील कठूमर जिला अलवर हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:21 IST
Reason: SelfAttested

12.6.24

–जिम्मे वादी

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की सत्य प्रतिलिपी व मूल निवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, गुजरात सैकण्डरी बोर्ड गांधीनगर की 10 वीं व हाई सैकण्डरी की अंकतालिका व मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति व बहस के दौरान शपथपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत मथुराहेडा का प्रमाण पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया।विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का नाम बन्टी ना होकर उमाकान्त शर्मा है।वादी के सभी पहचान के दस्तावेजात मार्कशीट व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र में नाम उमाकान्त शर्मा अंकित है।राजस्व कर्मचारियान ने विवादित आराजी बाबत वादी को बिना सुनाये बिना बुलाये बिना सही नाम की जांच किये पहचान के दस्तावेज लिये ही राजस्व रिकार्ड में बन्टी दर्ज कर दिया है जिसे बण्टी के स्थान पर उमाकान्त शर्मा दुरूस्त किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी का नाम विरासत इंतकाल के दौरान बंटी पुत्र रमेश दर्ज किया गया था। इस नामान्तकरण में किसी प्रकार की कोई लिपीकीय त्रुटि नही है। अतः वादी विवादित आराजी में अपना नाम बन्टी के स्थान पर उमाकान्त शर्मा दुरूस्त कराने का अधिकारी नहीं है।अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है। अतः दावा वादी साबित नहीं होने से डिक्री योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उभय पक्ष बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी उक्त विरासत

12.6.24

इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में करके वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 124 / 2019 दायर दिनांकः– 04 / 07 / 2019

जीसीएमएस नं0ः–2019 / 00250 निर्णय दिनांकः– 12.06.2024

वउनवान

1. उमांकान्त शर्मा पुत्र श्री रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हनुमन्ता कठूमर जिला अलवर।

——————डिक्रीदार

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर लैण्ड होल्डर

——मदयूनान्

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा–88, 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

अतः उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी उक्त विरासत इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में करके वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय दिनांक 12.06.2024को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:32:21 IST
Reason: SelfAttested

12.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

21.1.24 पत्रावली पेश हुई। राज्य ... अनुपालना कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 17.5.24 को पेश हो।

17.5.24 वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 6.6.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
... (...)

6/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी हाजिर। साक्ष्य प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। बहस वकील वादी प्रतिवादी सुनी गई। वास्ते आदेश 12/6/24 को पेश हो।

12/6/24 पत्रावली पेश हुई। वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी का ... इतलाव ... सक्षम न्यायालय के ... उठाने हेतु स्वतंत्र है ... कि किया जाता ... की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल रिकॉर्ड ... किया जावे। हो ... सुनाया गया।

12.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 03:32:21 IST
Reason: SelfAttested